न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—291/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/291)

1. राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद
2. रामधन पुत्र रामकुंवार
3. सुरेश पुत्र प्रहलाद
   समस्त जाति खाती, निवासी सांपला, तहसील सरवाड जिला केकडी।

अपीलांट्स

बनाम

1. भागचंद पुत्र जगदीश
2. शांति पुत्री जगदीश
3. सावित्री पुत्री जगदीश
   समस्त जाति खाती, निवासी सांपला, तहसील सरवाड जिला केकडी।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 राजस्व वाद संख्या 2021/103

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4

निर्णय

दिनांकः— 19.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2021/103 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलांट्स एवं राज्य सरकार प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस की गई। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला

अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2021/103 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक से एक तरफा में रिपोर्ट मंगवाई जाकर रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान किया है जबकि कानूनन बरवक्त मुर्तिब रिपोर्ट के अपीलांट्स को नोटिस जारी किया जाकर मौका रिपोर्ट बनाया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के तहत अनिवार्य था इसके बावजूद भी एक तरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से नया रास्ता प्रदान करने में उपखण्ड अधिकारी, सरवाड ने गंभीर त्रुटि कारित की है जो कि काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी महोदय, सरवाड के समक्ष अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया था इसके बावजूद भी उपरोक्त आपत्ति मौका रिपोर्ट पर बिना कोई आदेश पारित किए सरसरी तौर पर अपीलांट्स की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिया जबकि जब तक अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण नहीं कर दिया जाता तब तक उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा अपने निर्णय में भी आपत्ति बाबत् कोई फाईण्डिग दिये बगैर सरसरी तौर पर अपीलांट्स की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता कायम करने में गंभीर विधिक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है जो कि अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिफैक्टिव प्रार्थना पत्र था चूंकि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत डी.एल.सी. दर से नया रास्ता कायम किया जा सकता है या भूमि के बदले भूमि दी जा सकती है बल्कि बन्द हुए रास्ते को धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रिलीफ प्रदान नहीं की जा सकती है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह कथन अंकित किये गए कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2524 में आने जाने का रास्ता जो सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2489 से होकर 2523 की उत्तरी मेर की ओर 16 फीट चौडा रास्ता है जिससे रेस्पोडेन्ट्स अपने खेत में आते जाते हैं जिसे अपीलांट्स द्वारा अवरूद्ध किया हुआ है जिसे खुलासा करवाया जावे। चूंकि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता कायम किया जा सकता है व धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार को अवरूद्ध रास्ते को खोलने का क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार विपक्षी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत डिफैक्टिव प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अपीलांट्स की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में से रास्ता मंजूर करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है जो कि अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध

है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2021/103 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वाके ग्राम सांपला पटवार हल्का सांपला तहसील सरवाड़ के ख. नं. 2524 रकबा 0.45 हैक्ट. किस्म न.2 की आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व की आराजीयात है जिसमें आने–जाने का एक मात्र सार्वजनिक रास्ता खसरा नं0 2489 जो फूलिया कलां से केकड़ी जाने वाले पक्के रोड से खसरा नं0 2523 की उत्तरी मेर से प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नं0 2524 में आने–जाने का रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त आने जाने के एकमात्र रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और अंदर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में आने वाली आराजी की डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा कराने हेतु तैयार है इसलिए इस रास्ते को तरमीम किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.10.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 2524 में आने जाने का रास्ता जो सरकारी रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 2489 से होकर खसरा नम्बर 2523 की उत्तरी मेर की ओर 16 फीट चौडा रास्ता है, जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में आते जाते है, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध किया हुआ है, जिसे खुलासा करवाया जाकर नियमानुसार डीएलसी राशि की दुगुनी राशि जमा कर उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे में तरमीम कर रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुतोष चाहा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 266, खसरा नम्बर 2524 के खातेदार/काश्तकार रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 दर्ज हैं। जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 1083 के खसरा नम्बर 2523 के खातेदार/काश्तकार अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

उपरोक्त वर्णित ग्राम सांपला के खसरा नम्बर 2524 की मौका रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु तहसीलदार कार्यालय से उभयपक्षकारान को नोटिस दिनांक 22.04.2024 को जारी किए गए थे। बावजूद सूचना के अपीलांट/अप्रार्थीगण मौका रिपोर्ट के समय अनुपस्थित रहे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.05.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 2524 में आने जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा प्रार्थी के लिए खसरा नम्बर 2523 में से होकर आवागमन सुलभ एवं उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा भी कथन किया गया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 2524 में आने जाने हेतु सांपला से फूलियाकला रोड पर स्थित खसरा नम्बर 2523 ही उपयुक्त रास्ता है इसके अतिरिक्त प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान में उपयुक्त रास्ता चालू है।

तहसीलदार द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 2523 में से 60 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई की भूमि रास्ते हेतु राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में इंद्राज किए जाने हेतु आदेश पारित किए गए।

अपीलांट द्वारा अपील में कथन किए गए कि मौका रिपोर्ट बाबत किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किए तथा उक्त मौका रिपोर्ट एकपक्षीय मौका रिपोर्ट है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति मौका रिपोर्ट पर बिना कोई आदेश पारित किए प्रकरण में नया रास्ता कायम करने हेतु आदेश पारित किया गया है।

अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों का परीक्षण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से किए जाने पर यह पाया गया कि तहसीलदार कार्यालय द्वारा मौका रिपोर्ट बाबत उभयपक्षकारान को दिनांक 22.04.2024 को नोटिस जारी किए गए थे तथा अपीलांट/अप्रार्थी मौके पर उपस्थित नहीं होने से तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट अन्य मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शे के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट की आराजीयात खसरा नम्बर 2524 में आवागमन हेतु सुलभ रास्ता खसरा नम्बर 2523 से ही उपयुक्त है तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पास अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट विधि सम्मत है।

अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 25.07.2024 को राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी के हस्ताक्षर भी उपलब्ध है। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2024 को विधिसम्मत रूप से खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। चूंकि उक्त राजीनामे में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खसरा नम्बर 2523 में 16 फीट रास्ता है जिसपर उभयपक्ष राजीनामा कर रहे है व उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम कर दिया जावे तो उभयपक्षों को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा व उक्त रास्ते को दोनों पक्ष समान रूप से उपयोग में लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि

अपीलांट द्वारा बिना आधार के प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि उभयपक्षों में पूर्व में ही राजीनामा हो चुका है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थी/रेस्पोडेंट के पास अपनी आराजीयात में जाने के लिए मौके पर वैकल्पिक मार्ग का अभाव है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट को दिया गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के मंशा अनुसार उतना ही दिया गया है जिससे प्रार्थी/रेस्पोडेंट अपनी आराजीयात में सरल व सुगम तरीके से आ जा सके व कृषि यंत्रों को सुविधा की दृष्टि से ले जा सके।

धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है तथा रास्ता सुखाधिकार के तहत उपयोग में लिया जाता है। वर्तमान रेस्पोडेंट को अपनी कृषि आराजीयात पर आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्याय की मंशा के अनुकुल है। अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अपीलांट अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार त्रुटि कारित नहीं हुई है, जिसकी पुष्टि न्यायालय हाजा द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2021/103 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर